

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 जनवरी, 1972 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 जनवरी, 1972 को बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 24 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- | | |
|--|--|
| 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा। | संक्षिप्त नाम |
| 2—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) में, अंक "1971" के स्थान पर अंक "1973" रख दिये जायें। | उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1958 की धारा 1 का संशोधन |
| 3—मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाये:—
"प्रतिबन्ध यह भी है कि कलेक्टर पूर्व प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन प्राप्त अपने सभी या किन्हीं अधिकारों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक उपाध्यक्ष को प्रतिनिहित कर सकता है।" | धारा 4 का संशोधन |
| 4—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। | उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22, 1971 का निरस्तन |

(संशोधन और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 6 जनवरी, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये)

THE UTTAR PRADESH ANTARIM ZILA PARISHADS (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 1972

(U. P. ACT No. 9 OF 1972)

*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad
(Sanshodhan) Adhiniyam, 1972]*

AN
ACT

to further amend the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishads (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972. Short title.
2. In section 1 of the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958 (hereinafter referred to as the principal Act) in sub-section (3), for the figures "1971", the figures "1973" shall be substituted. Amendment of section 1 of U.P. Act XXII of 1958.
3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), after the proviso hereto, the following proviso shall be inserted namely :—
"Provided further that the Collector may delegate all or any of the powers conferred on him under the preceding proviso to an Upadhyaksha nominated by the State Government."
Amendment of section 4.
4. The Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Sanshodhan) Adhyadesh, 1971, is hereby repealed. Repeal of U. P. Ordinance No. 22 of 1971.

(For statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 6, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 5, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 11, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on January 22, 1972 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 24, 1972.)